संख्या-15/2019/25/26-3-2019-4185/2018

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 21 जनवरी 2019

विषयः-मा0न्यायालय में मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायधिकरण/विशेष न्यायाधीश गोरखपुर द्वारा एम0ए0सी0पी0 नं0 439/2010 श्रीमती सुधा शुक्ला बनाम निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 में पारित आदेश दिनांक-29.05.2014 के अनुपालन में धनराशि के भुगतान की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-1242-43/स0क0/नजारत/मोटर वाहन/2018-19 दिनांक-01.01.2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें मा0 न्यायालय में मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायधिकरण/विशेष न्यायाधीश गोरखपुर द्वारा एम0ए0सी0पी0 नं0 439/2010 श्रीमती सुधा शुक्ला बनाम निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 में पारित आदेश दिनांक-29.05.2014 के अनुपालन में रू0-4207278/ की धनराशि राज्य आकस्मिकता निधि से स्वीकृत किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत भुगतान हेतु भारित मद में धनराशि की व्यवस्था होना आवश्यक नही है। अर्थात ऐसे प्रकरणों में अनुदान के अन्तर्गत उपलब्ध मतदेय मद से भी भुगतान किया जा सकता है। अतएव इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रश्नगत भुगतान विधिक रूप से बाध्यकारी होने की दशा में अनुदान में उपलब्ध बजट (मतदेय) के सुसंगत मानक मद-42-अन्य व्यय से भुगतान की अनुमति प्रदान की जाती है।

भवदीय,

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ.संख्या-15/2019/25/(1)/26-3-2019तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम,उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।